रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/98 REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 141] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 20, 1999/फाल्गुन 29, 1920
No. 141] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 20, 1999/PHALGUNA 29, 1920

संचार मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 20 मार्च, 1999

सा.का.नि. 217(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (ज) के साथ पठित उस धारा की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (प्रकीर्ण) नियम, 1999 है।
   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **परिभाषाएं**— इन नियमों में—
   (क) "अधिनियम" से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) अभिप्रेत है;
   (ख) इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों और पदों के वही अर्थ हैं, जो उनके अधिनियम में हैं।
3. कोई ऐसा विषय जिसकी बाबत कोई विनिर्दिष्ट नियम या विनियम अधिनियम के अधीन नहीं बनाया गया है ऐसे विषय की बाबत केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया या निकाला गया कोई नियम, आदेश या विनिर्देश प्राधिकरण को लागू होगा।

[फा. सं. 10-8/99-टीसीओ]
गुरदीप सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS
(Department of Telecommunications)
NOTIFICATION
New Delhi, the 20th March, 1999

G. S. R. 217(E).—In exercise of powers conferred under Sub-section (1) of Section 35 read with clause (h) of sub-section (2) of that Section of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1 **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Telecom Regulatory Authority of India (Miscellaneous) Rules, 1999.
   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions**— In these rules.—
   (a) "Act" means the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997);
   (b) Words and expressions used in these rules shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act.
3 In any matter with respect to which no specific rules or regulations have been made under the Act, the rules, orders and instructions made or issued by the Central Government with respect to such matter, shall be applicable to the Authority.

[F. No. 10-8/99-TCO]
GURDIP SINGH, Jt. Secy.

840 GI/99

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054